

अनवान
ईश्वरसिंह बनाम पाबूसिंह व अन्य

26.07.2024

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री भैरूपालसिंह बालावत उपस्थित। अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा उपस्थित। अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता अनुपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी का मूल निगरानी प्रार्थना पत्र निर्णित हो जाने से इस स्थगन प्रार्थना पत्र अब किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः प्रार्थी का यह स्थगन प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



(शुभम चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरौही